Savitribai Phule Pune University

(Formerly University of Pune)



Circular No. 175 /2018

The University Grant Commission has prescribed (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018, which is published in Gazette of India, Part III Section-4 Extraordinary, Notification No.F.1-18/2010 (CPP-II) dated 23rd July, 2018. Attached herewith as a copy of the said Notification.

It is therefore, informed to all concerned as under:

- 1. University Grant Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018 shall be applicable with immediate effect, to the students, faculty, researchers and staff of the University departments, affliated colleges/recognized institutions and research centers at affiliated colleges/recognized institutions of the University, in respect of assessment of academic and research work done by them in the form of thesis, dissertation and publication of research papers, chapters in books, full-fledged books and any other similar work for award of degree at Masters and research level.
- 2. University departments, affiliated colleges/recognized institutions and research centers at affiliated colleges and recognized institutions of the University shall establish Departmental Academic Integrity Panel (DAIP) as mentioned in the said UGC Regulations, 2018 and shall obtain the approval of the Hon'ble Vice-Chancellor of the University for the Panel (DAIP).
- 3. It is mandatory to check plagiarism and all related issues before submission of thesis/dissertation/manuscripts, publication of research papers, etc. Departmental Academic Integrity Panel (DAIP) shall take care of and be responsible for the said process.
- 4. The University will be using software URKUND recommended and provided by INFLIBNET. The necessary technical formalities for access to this software is being taken care of by the IT Cell of the University.
- 5. All University departments, affiliated colleges/recognized institutions and research centers at affiliated colleges/recognized institutions of the University shall comply with the said UGC Regulations, 2018 in the process of assessment of academic and research work done by the students, faculty, researchers or staff in the form of thesis, dissertation and publication of research papers, chapters in books, full-fledged books and any other similar work for award of degree at Master or Research level.

Dr. N.S. Umarani Pro-Vice-Chancellor

Ganeshkhind, Pune-07 Ref. No. PGS/3838 Date: 27/09/2018



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग [[]—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] No. 287] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/ SHRAVANA 9, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादिमक सत्यिनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

मि. सं. 1-18/2010 (सीपीपी-II).---

प्रस्तावना

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के अनुसार, उच्च शिक्षा के मानकों को समन्वित एवं सुनिश्चित करने के लिए आदेशाधीन है।

तथा जबिक, किसी छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात तथा शोध स्तर पर डिग्री प्रदान करने हेतु आंशिक रूप से सम्पादित किया गया कार्य, जिसका अकादिमक एवं शोधकार्य का मूल्यांकन किया जा चुका हो. जो शोध—निबन्ध, शोध—प्रबन्ध, शोध पत्रों के प्रकाशन, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकों के रूप में हो तथा कोई अन्य समरूप कार्य, जो अकादिमक, सत्यिनिष्ठा एवं मौलिकता के मूल तत्वों को दर्शीय तथा जिसका उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) द्वारा अपनायी गई विभिन्न संबंधित प्रक्रियाओं में अवलोकन किया जाए।

अतः, वि. आ. आधिनियम 1956 के अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (एफ) एवं (जी) के साथ पठित अनुच्छेद 12 के खण्ड (जें) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वि. आ. आ. ने एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम निर्मित किए. हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारंग :

- (ए) इन नियमों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादिमक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम 2018 कहा जाएगा।
- (बी) ये विनियम, देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- (सी) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाः

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (ए) ''अकादिमक सत्यनिष्टा '' से तात्पर्य, किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित करने, निष्पादित करने, सूचित करने एवं बौद्विक ईमानदारी से है, जिससे बौद्विक गुणों का सृजन हो सके।
- (बी) "रचनाकार" रचनाकार के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक संस्थान (HEI) के छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी आते हैं जो विचाराधीन कार्य के सुजनकर्ता होते हैं।
- (सी) ''आयोग'' से अभिप्राय वि. अ. आ. से है, जैसा कि वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित है।
- (डी) ''सामान्य ज्ञान'' से अभिप्राय, सुप्रसिद्ध तथ्य, उद्वरण, आंकडा या जानकारी से है जिसकी अधिकांश व्यक्तियों को जानकारी हो।
- (ई) ''डिग्री'' से अभिप्राय, वि. अ. आ. द्वारा निर्धारित की गई ऐसी डिग्री से है जो कि वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई हो।
- (एफ) ''विभागीय अकादिमक सत्यनिष्ठा नामसूची'' से तात्पर्य होगा विभागीय स्तर पर गठित निकाय, जो साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच पडताल करेगा।
- (जी) ''संकाय'' से तात्पर्य, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित किसी व्यक्ति से है जो छात्रों को शिक्षण तथा / या मार्गदर्शन प्रदान करता हो, चाहे वह किसी भी क्षमता का हो अर्थात् नियमित, तदर्थ, अतिथि, अस्थायी, मुलाकाती आदि।
- (एच) ''उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEI)'' से अभिप्राय ऐसे वि. वि. से है जो वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हो या वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह संस्थान जो मानित वि. वि. के अंतर्गत आता हो या मान्य महाविद्यालय/संस्थान या किसी वि. वि. की एक संघटक इकाई हो।
- (आई) ''सूचना'' इसके अंतर्गत आंकड़े, संदेश, पाठ्यवस्तु, आकृतियां, ध्वनि, आवाज, कोड, कम्प्यूटर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर एवं डाटाबेस या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर सुजित माइक्रोफिश सम्मिलत हैं।
- (जे) ''संस्थागत अकादिमक सत्यनिष्ठा नामसूची'' से अभिप्राय एक ऐसे निकाय से है जो विभागीय अकादिमक सत्यनिष्ठा नामसूची की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा साहित्यिक चोरी के आरोपों के बारे में उचित निर्णय लेने तथा दण्ड लागू करने संबंधी निर्णय लेने के लिए संस्थागत स्तर पर गठित किया गया हो। अपवादिक मामलों में यह न्यास संस्थागत स्तर पर साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच करेगा।
- (के) ''अधिसूचना'' से तात्पर्य, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है तथा अधिसूचित करने की अभिव्यक्ति का उसके समानार्थी तथा व्याकरणीय भिन्नता के अनुरूप अनुमान लगाया जाएगा।
- (एल) ''साहित्यिक चोरी'' से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य या विचार को निज प्रयोग में लेना तथा अपने नाम से दूसरे को देना।
- (एम) ''पाठ्यक्रम'' से तात्पर्य, अध्ययन किया जाने वाला वह पाठ्यक्रम जिसके लिए निष्णात एवं शोध स्तर पर डिग्री प्रदान की जाए।
- (एन) 'शोधकर्ता'' से तात्पर्य है उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अकादमिक / वैज्ञानिक शोध करने वाला व्यक्ति।
- (ओ) ''पाण्डुलिपि'' के अंतर्गत शोध—लेख, शोध—निबन्ध, शोध—पत्र, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकें तथा अन्य समान कार्य का मूल्यांकन/अभिमत हेतु जमा किया जाने वाला कार्य जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात एवं शोधस्तर की डिग्रियों को प्राप्त करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु तैयार किया जाए। तथापि, इसमें नियत कार्य/आविधक पत्र/परियोजना रिपोर्ट/पाठ्यक्रम संबंधी कार्य/निबन्ध तथा उत्तर पुस्तिकाएं शामिल नहीं होंगी।
- (पी) "स्त्रोत" से अभिप्राय, किसी भी स्त्रोत से किसी भी रूप में प्राप्त की गई प्रकाशित मुख्य एवं गौण अध्ययन सामग्री से है, जिसमें लिखित जानकारी तथा अन्य व्यक्तियों अर्थात विख्यात विद्वानों, लोकप्रिय हस्तियों, किसी भी प्रकार के पेशेवर व्यक्तियों से प्रत्यक्षतः प्राप्त किये गए दृष्टिकोण को शामिल किया गया हो। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े एवं सूचना यथा श्रव्य, दृश्य, आकृति या पाठ्यक्रम के रूप में, जिसकी सूचना समान अर्थ में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 2(1)(V) के अंतर्गत वर्णित है तथा जिसको यहां विनियम 2(1) में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

- (क्यू) ''कर्मचारी'' से तात्पर्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यरत् गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग से है, जो किसी भी क्षमता अर्थात नियमित, अस्थायी, अनुबन्धात्मक, बाह्य स्त्रोत आदि में कार्यरत् हों।
- (आर) ''छात्र'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जिसका विधिवत दाखिला हुआ हो, पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो, जिसमें किसी भी पद्धति (पूर्णकालिक या अंशकालिक या दूरस्थ माध्यम) से अध्ययन करने वाले शोध पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।
- (एस) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय उन विश्वविद्यालयों से हैं, जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित हैं तथा उनमें वह मानित वि. वि. संस्थान सम्मिलित हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद (3) के अंतर्गत आते हैं।
- (टी) ''वर्ष'' से तात्पर्य वह अकादिमक सत्र है, जिसमें प्रमाणित अपराध किया गया हो। ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं तथा इन विनियमों के साथ सुसंगत नहीं हैं उनका इस अधिनियम में निर्दिष्ट तद्नुरूप अर्थ लगाया जाएगा।

3. उद्देश्यः

- 3.1 शोध, शोध—पत्र, शोध—निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण, अकादिमक सत्यिनिष्ठा के प्रोत्साहन के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारी वर्ग में अकादिमक लेखन में साहित्यिक चोरी सिहत कदाचार से बचाव करना।
- 3.2 शिक्षण एवं प्रशिक्षण के जरिये, संस्थानात्मक तंत्र स्थापित करना, जिससे शोध, शोध–पत्र शोधनिबन्ध, अकादमिक सत्यनिष्ठा तथा साहित्यिक चोरी के निवारण में प्रोन्नति सहज हो सके।
- 3.3 साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए पद्वतियां विकसित करना तथा साहित्यिक चोरी से बचाव के लिए रचना—तंत्र की स्थापना करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्र, संकाय, शोधकर्ता या कर्मचारी को साहित्यिक चोरी का कृत्य करने पर दण्डित करना।

4. उच्चतर शिक्षा संस्थान के दायित्व :

प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि शोध एवं अकादमिक कार्यकलापों के दायित्वपूर्ण आचरण के प्रति जागरूकता लाने में संवर्धन करे, साथ ही अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोन्नत करे तथा साहित्यिक चोरी से बचाव करे।

5. जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण :

- (क) उच्चतर शिक्षा संस्थान, अपने छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों को उचित आरोपण के संबंध में अनुदेश देगा, जहां कहीं भी आवश्यक हो, लेखक से स्वीकृति की मांग करेगा, आवश्यकतानुसार उन सुसंगत तथा अनुमतिनिर्दिष्ट अनुशासनों के स्त्रोत की जानकारी प्राप्त करेगा तथा जो नियमों के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा स्त्रोत को नियंत्रित करने वाले विनियमों से संबंधित होंगे।
- (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रत्येक सत्र में सम्मेलन / जागरूकता कार्यक्रमों का सुग्राही संचालन करेगा, जो शोध, शोध–पत्र, शोध–निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण तथा अकादिमक सत्यनिष्ठा की प्रोन्नित तथा छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए शिक्षा में नैतिकता को बढ़ावा देगा।
- (ग) उच्चतर शिक्षा संस्थान, निम्नलिखित कार्यों पर जोर देगा :
 - i. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी)/निष्णात डिग्री की पाठ्यवस्तु में अकादिमक सत्यनिष्ठा के आधारभूत सिद्वांतों को सम्मिलित करना।
 - ii. निष्णात एवं शोधविशेषज्ञों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि / मॉड्यूल के रूप में शोध एवं प्रकाशन के दायित्वपूर्ण आचरण संबंधी मूल तत्वों को सम्मिलत करना।
 - iii. उच्चतर शिक्षा संस्थान के संकाय एवं कर्मचारी सदस्यों हेतु अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, शोध एवं प्रकाशन के आधारभूत दायित्वपूर्ण आचरण के तथ्यों को शामिल करना।
 - iv. छात्र, संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारियों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों/साधनों तथा संदर्भप्रबन्धन उपकरणों को प्रयुक्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - v. साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों सहित सुविधा उपकरणों की स्थापना करना।

vi. अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की पंजीकरण पद्धतियों पर छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. साहित्यिक चोरी पर रोकथाम :

- (ए) उच्चतर शिक्षा संस्थान, उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रयुक्त करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित रचनातंत्र की घोषणा एवं कार्यान्वयन करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शोध—पत्र, शोध—निबन्ध, प्रकाशन या कोई अन्य दस्तावेज उसकी प्रस्तृति के समय साहित्यिक चोरी से मुक्त हैं।
- (बी) ऊपर (ए) में वर्णित रचनातंत्र, शोधकार्य में संलिप्त सभी छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य आदि भी सम्मिलित होंगे।
- (सी) प्रत्येक छात्र, जो शोध—पत्र, शोध—निबन्ध या समान दस्तावेज, उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रस्तुत करने जा रहा है, वह एक ऐसा वचन—बंध प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है तथा किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (डी) इस वचन—बंध में यह तथ्य भी शामिल किया जाएगा कि इस दस्तावेज की उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों के जरिये विधिवत जाँच कर ली गई है।
- (ई) संस्थान, साहित्यिक चोरी के संबंध में एक ऐसी संबंधित नीति का विकास करेगा तथा इससे संबंधित विधायी निकायों / प्राधिकरणों से उसे स्वीकृत कराएगा। स्वीकृत नीति को HEI वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड किया जाएगा।
- (एफ) प्रत्येक पर्यवेक्षक, एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि शोधकर्ता द्वारा किया गया अमुक कार्य, शोधकर्ता के द्वारा तथा मेरे अधीन रहकर किया गया है तथा यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (जी) संरथान, सभी निष्णात, शोध पाठ्यक्रम के शोध—पत्रों तथा शोध—निबन्धों को, डिग्री प्रदान किए जाने के पश्चात् 1 माह के भीतर 'शोध गंगा ई—रिपोजिटरी' के अंतर्गत डिजीटल रिपोजिटरी को पोषित करने हेतु इनफ्लीबनेट पर इसकी सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (एच) संस्थान, संस्थानात्मक रिपोजिटरी का संस्थान की वेबसाइट पर सृजन करेगा जिसमें शोध-निबन्ध/ शोध-पत्र/पत्र-आलेख/प्रकाशन तथा अन्य आंतरिक (इन-हाउस) प्रकाशनों को भी सम्मिलित करेगा।

7. साहित्यिक चोरी के बहिष्करण हेतु समरूपता रोकथाम :

साहित्यिक चोरी के लिए समानता जांच में निम्नवत वर्जित होंगे :

- i. सभी अनिवार्य अनुमतियों और / अथवा गुणधर्म के साथ उद्दात कार्य।
- ii. सभी सदर्भ, पुस्तकसूची, विषयवस्तु की तालिका, आमुख तथा साभार।
- iii. सभी सामान्य शब्दावली, विधि, मानक, चिहन् तथा मानक समीकरण।

नोटः

छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों द्वारा किया गया शोधकार्य, मूल विचार पर आधारित होगा, जिसमें केवल संक्षेपण, सारांश, अवधारणा, टिप्पणियां, परिणाम, निष्कर्ष तथा सिफारिशें शामिल होंगी तथा इसमें कोई समानताएं नहीं होंगी। इसमें चौदह (14) क्रमगत शब्दों तक सामान्य ज्ञान अथवा अनुरूप शब्दावली विवर्जित होगी।

8. साहित्यिक चोरी के स्तर:

साहित्यिक चोरी को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम में साहित्यिक चोरी को निम्नवत स्तरों में मापा जाएगाः

- i. ै स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानता— थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- ii. प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं।
- iii. द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं।
- iv. तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं।

9. साहित्यिक चोरी का पता लगाना / जानकारी प्रदान करना / कार्यवाही करना :

यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपर्युक्त प्रमाण के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (डीएआईपी) को देगा। डीएआईपी, ऐसी शिकायत अथवा आरोप की प्राप्ति पर मामले की जांच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (आईएआईपी) को अपनी सिफारिशें सोंपेगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्राधिकारी साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयंमेव संज्ञान भी ले सकते हैं और इन विनियमों के तहत कार्यवाहियां कर सकते हैं। इसी प्रकार, परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर भी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों की आईएआईपी द्वारा जांच की जाएगी।

10. विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान के सभी विभाग एक डीएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है:
 - क. अध्यक्ष-विभागाध्यक्ष
 - ख. सदस्य—विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद्, जिसे उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा।
 - ग. सदस्य—साहित्यिक चोरी के साधनों से भली—भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के संबंध में सदस्यगणों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (सभापति सहित)।

- ii. डीएआईपी, छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- iii. डीएआईपी, को साहित्यिक चोरी के स्तरों का मूल्यांकन करने तथा तदनुसार, दण्ड की सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- iv. शिकायत प्राप्त होने / कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर डीएआईपी, जांच उपरांत, अपनी रिपोर्ट सहित लगाए जाने वाले दण्डों पर अपनी सिफारिशों को आईएआईपी को प्रस्तुत करेगी।

11. संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (आईएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान, आईएआईपी को अधिस्चित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है:
 - क. अध्यक्ष-उच्चतर शिक्षा संस्थान का सम-कुलपति / संकाय अध्यक्ष / वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ख. सदस्य-उच्चतर शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ग. सदस्य-उच्चतर शिक्षा संस्थान से इतर किसी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा नामनित किया जाने वाला
 एक सदस्यगण।
 - घ. सदस्य–साहित्यिक चोरी के साधनों से भली–भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

एक ही व्यक्ति, डीएआईपी और आईएआईपी का अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगणों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों (सभापति सहित) द्वारा होगी ।

- ii. आईएआईपी, डीएआईपी की सिफारिशों पर विचार करेगा।
- iii. आईएआईपी, इन विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार साहित्यिक चोरी के मामलों की जांच भी करेगा।
- iv. आईएआईपी, उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- v. आईएआईपी को विधिवत् औचित्य के साथ दण्ड सहित डीएआईपी की सिफारिशों की समीक्षा करने की भी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- vi. आईएआईपी जांच उपरांत रिपोर्ट तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड संबंधी सिफारिशों को डीएआईपी द्वारा शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर भेजेगा।
- vii. आईएआईपी उस व्यक्ति(यों) को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा जिसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

12. दण्ड :

साहित्यक चोरी के मामले में निष्णात तथा शोध कार्यक्रमों के स्तर पर उच्चतर शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत छात्रों तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के शोधकर्ताओं, संकाय तथा कर्मचारिवृंदों पर केवल उस स्थिति में ही दण्ड लगाया जाएगा जब बिना किसी संदेह के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा शैक्षिक कदाचार किए जाने की पुष्टि हो जाती है और जब अपील के सभी विकल्पों को पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है और जब अमुक व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए स्पष्ट अथवा पारदर्शी पद्धति से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो।

12.1 शोध-प्रबंध (थीसीस) तथा शोध-निबंध (डिसरटेशन) को प्रस्तुत करने के मामले में साहित्यिक चोरी :

संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसची (आईएआईपी) साहित्यिक चोरी की गंभीरता पर विचार कर दण्ड आरोपित करेगा :

- i. स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं- थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- ii. प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं— ऐसे छात्रों को अधिकतम छह माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाएगा।
- iii. **द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं** ऐसे छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जाएगा।
- iv. तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं— ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

नोट 1: बार—बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड : प्रत्येक छात्र को साहित्यिक चोरी के लिए दण्डित किया जाएगा यदि उसके द्वारा की गई साहित्यिक चोरी पिछली बार की गई साहित्यिक चोरी से एक स्तर अधिक हो। यदि सर्वोच्च स्तर की साहित्यिक चोरी की गई हो तो उसे कारगर दंड दिया जाएगा।

नोट 2: उस स्थिति में साहित्यिक चोरी जब उपाधि/क्रेडिट पहले ही प्राप्त किया गया हो— यदि उपाधि/क्रेडिट किए जाने, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए जाने की तिथि के बाद में साहित्यिक चोरी सिद्ध हो तो उसकी उपाधि/क्रेडिट को आईएआईपी द्वारा संस्तुत अविध के लिए आस्थिगित रखा जाएगा तथा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

12.2 शैक्षिक तथा शोध प्रकाशनों में साहित्यिक चोरी के मामले में दण्ड :

- स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानताएं— थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- 11. प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं
 - i. ऐसे छात्रों को, पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
- III. द्वितीय स्तर: चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं
 - i. उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
 - ii. उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
 - iii. उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए किसी नई निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र / विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- IV. तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं
 - i. उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा।
 - ii. उन्हें लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
 - iii. उन्हें तीन वर्ष की अविध के लिए किसी नए निष्णात, एम.फिल., पीएच.डी. छात्र / विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट 1: बार - बार साहित्यिक चोरी करने पर दण्ड : उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा और उन्हें की गई साहित्यिक चोरी के निम्न स्तर से एक स्तर ऊपर की साहित्यिक चोरी के लिए दण्डित किया जाएगा। यदि की गई साहित्यिक चोरी सर्वोच्च स्तर की हो तो उसके लिए विहित दंड लागू होगा। यदि तृतीय स्तर के दोष की पुनरावृत्ति की गई हो तो उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सेवा नियमों के अनुसार निलंबन/सेवा समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नोट 2: उस स्थिति में दण्ड, जब साहित्यिक चोरी का लाभ अथवा क्रोडिट पहले ही प्राप्त किया गया हो— यदि लाभ अथवा क्रोडिट प्राप्त किए जाने, जैसा भी मामला हो, की तिथि के बाद साहित्यिक चोरी सिद्ध हो तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ अथवा क्रोडिट को आईएआईपी द्वारा संस्तुत अविध के लिए आस्थिगित रखा जाएगा तथा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट 3: उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसा तंत्र विकसित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र, संकाय, शोधकर्ता अथवा कर्मचारिवृंद द्वारा प्रकाशित किए गए प्रत्येक पत्र/शोध—प्रबंध (थीसीस) तथा शोध—निबंध (डिसरटेशन) को अग्रेषित/ प्रस्तुत किए जाने के समय साहित्यिक चोरी के लिए जांचा जाए।

नोट 4: यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रधान के विरूद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, इन विनियमों के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थान के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

नोट 5: यदि संस्थागत स्तर पर विभागाध्यक्ष / प्राधिकारियों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, इन विनियमों के अनुरूप आईएआईपी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट 6: यदि डीएआईपी अथवा आईएआईपी के किसी सदस्यगण के विरूद्ध साहित्यिक चोरी की कोई शिकायत हो तो, ऐसा सदस्य ऐसी बैठकों में भाग नहीं लेगा जहां उसके मामले के संबंध में चर्चा की जा रही हो/अथवा जांच की जा रही हो।

13. कठिनाइयों का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली किठनाइयों को भारत सरकार / मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से निवारण करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 161 / 18]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (PROMOTION OF ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION OF PLAGIARISM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2018

New Delhi, the 23rd July, 2018

F. 1-18/2010(CPP-II).-

Preamble

Whereas, University Grants Commission (UGC), as per UGC Act, 1956, is mandated to coordinate and determine the standards of higher education;

And whereas, assessment of academic and research work done leading to the partial fulfillment for the award of degrees at Masters and Research level, by a student or a faculty or a researcher or a staff, in the form of thesis, dissertation and publication of research papers, chapters in books, full-fledged books and any other similar work, reflects the extent to which elements of academic integrity and originality are observed in various relevant processes adopted by Higher Educational Institutions (HEIs);

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clauses (f) and (g) of subsection (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:-

1. Short title, application and commencement -

- These regulations shall be called the University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018.
- b. They shall apply to the students, faculty, researchers and staff of all Higher Educational Institutions in the country.
- c. These regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions -

In these regulations, unless the context otherwise requires—

- a. "Academic Integrity" is the intellectual honesty in proposing, performing and reporting any activity, which leads to the creation of intellectual property;
- b. "Author" includes a student or a faculty or a researcher or staff of Higher Educational Institution (HEI) who claims to be the creator of the work under consideration;
- "Commission" means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission
 Act, 1956;
- d. "Common Knowledge" means a well known fact, quote, figure or information that is known to most of the people;
- e. "Degree" means any such degree specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;
- f. "Departmental Academic Integrity Panel" shall mean the body constituted at the departmental level to investigate allegations of plagiarism;
- g. "Faculty" refers to a person who is teaching and/or guiding students enrolled in an HEI in any capacity whatsoever i.e. regular, ad-hoc, guest, temporary, visiting etc;
- h. "Higher Educational Institution (HEI)" means a university recognized under section 2(f) of the UGC Act, 1956 or an institution deemed to be university under section 3 of the UGC Act, 1956 or an affiliating college / institution or a constituent unit of a university;
- i. "Information" includes data, message, text, images, sound, voice, codes, computer programs, software and databases or microfilm or computer generated microfiche;
- j. "Institutional Academic Integrity Panel" shall mean the body constituted at Institutional level to consider recommendations of the departmental academic integrity panel and take appropriate decisions in respect of allegations of plagiarism and decide on penalties to be imposed. In exceptional cases, it shall investigate allegations of plagiarism at the institutional level;
- k. "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" with its cognate meanings and grammatical variation shall be construed accordingly;
- 1. "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.
- m. "Programme" means a programme of study leading to the award of a masters and research level degree;
- n. "Researcher" refers to a person conducting academic / scientific research in HEIs;
- o. "Script" includes research paper, thesis, dissertation, chapters in books, full-fledged books and any other similar work, submitted for assessment / opinion leading to the award of master and research level degrees or publication in print or electronic media by students or faculty or researcher or staff of an HEI; however, this shall exclude assignments / term papers / project reports / course work / essays and answer scripts etc.;
- p. "Source" means the published primary and secondary material from any source whatsoever and includes written information and opinions gained directly from other people, including eminent scholars, public figures and practitioners in any form whatsoever as also data and information in the electronic form be it audio, video, image or text; Information being given the same meaning as defined under Section 2 (1) (v) of the Information Technology Act, 2000 and reproduced here in Regulation 2 (1);
- q. "Staff" refers to all non-teaching staff working in HEIs in any capacity whatsoever i.e. regular, temporary, contractual, outsourced etc.;
- r. "Student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study including a research programme in any mode of study (full time or part-time or distance mode);
- s. "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an institution deemed to be university under section 3 of the UGC Act, 1956;
- t. "Year" means the academic session in which a proven offence has been committed.

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the meanings respectively assigned to them in UGC Act, 1956.

3. Objectives

- 3.1 To create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher and staff.
- 3.2 To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism.
- 3.3. To develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and punish a student, faculty, researcher or staff of HEI committing the act of plagiarism.

4. Duties of HEI:

Every HEI should establish the mechanism as prescribed in these regulations, to enhance awareness about responsible conduct of research and academic activities, to promote academic integrity and to prevent plagiarism.

5. Awareness Programs and Trainings:

- (a) HEI shall instruct students, faculty, researcher and staff about proper attribution, seeking permission of the author wherever necessary, acknowledgement of source compatible with the needs and specificities of disciplines and in accordance with rules, international conventions and regulations governing the source.
- (b) HEI shall conduct sensitization seminars/ awareness programs every semester on responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and ethics in education for students, faculty, researcher and staff.

(c) HEI shall:

- i. Include the cardinal principles of academic integrity in the curricula of Undergraduate (UG)/Postgraduate (PG)/Master's degree etc. as a compulsory course work/module.
- Include elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory course work/module for Masters and Research Scholars.
- iii. Include elements of responsible conduct of research and publication ethics in Orientation and Refresher Courses organized for faculty and staff members of the HEI.
- iv. Train student, faculty, researcher and staff for using plagiarism detection tools and reference management tools.
- v. Establish facility equipped with modern technologies for detection of plagiarism.
- vi. Encourage student, faculty, researcher and staff to register on international researcher's Registry systems.

6. Curbing Plagiarism

- a) HEI shall declare and implement the technology based mechanism using appropriate software so as to ensure that documents such as thesis, dissertation, publications or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission.
- b) The mechanism as defined at (a) above shall be made accessible to all engaged in research work including student, faculty, researcher and staff etc.
- c) Every student submitting a thesis, dissertation, or any other such documents to the HEI shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his/her original work and free of any plagiarism.
- d) The undertaking shall include the fact that the document has been duly checked through a Plagiarism detection tool approved by the HEI.
- e) HEI shall develop a policy on plagiarism and get it approved by its relevant statutory bodies/authorities. The approved policy shall be placed on the homepage of the HEI website.
- f) Each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him / her is plagiarism free.
- g) HEI shall submit to INFLIBNET soft copies of all Masters, Research program's dissertations and thesis within a month after the award of degrees for hosting in the digital repository under the "Shodh Ganga e-repository".
- h) HEI shall create Institutional Repository on institute website which shall include dissertation / thesis / paper / publication and other in-house publications.

7. Similarity checks for exclusion from Plagiarism

The similarity checks for plagiarism shall exclude the following:

- All quoted work reproduced with all necessary permission and/or attribution.
- ii. All references, bibliography, table of content, preface and acknowledgements.
- iii. All generic terms, laws, standard symbols and standards equations.

Note:

The research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas, which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, results, conclusions and recommendations only and shall not have any similarities. It shall exclude a common knowledge or coincidental terms, up to fourteen (14) consecutive words.

8. Levels of Plagiarism

Plagiarism would be quantified into following levels in ascending order of severity for the purpose of its definition:

- i. Level 0: Similarities upto 10% Minor similarities, no penalty
- ii. Level 1: Similarities above 10% to 40%
- iii. Level 2: Similarities above 40% to 60%
- iv. Level 3: Similarities above 60%

9. Detection/Reporting/Handling of Plagiarism

If any member of the academic community suspects with appropriate proof that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel (DAIP). Upon receipt of such a complaint or allegation the DAIP shall investigate the matter and submit its recommendations to the Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) of the HEL.

The authorities of HEI can also take *suomotu* notice of an act of plagiarism and initiate proceedings under these regulations. Similarly, proceedings can also be initiated by the HEI on the basis of findings of an examiner. All such cases will be investigated by the IAIP.

10. Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)

- i. All Departments in HEI shall notify a DAIP whose composition shall be as given below:
 - a. Chairman Head of the Department
 - b. Member Senior academician from outside the department, to be nominated by the head of HEI.
 - Member A person well versed with anti plagiarism tools, to be nominated by the Head of the Department.

The tenure of the members in respect of points 'b' and 'c' shall be two years. The quorum for the meetings shall be 2 out of 3 members (including Chairman).

- ii. The DAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the student, faculty, researcher and staff.
- iii. The DAIP shall have the power to assess the level of plagiarism and recommend penalty(ies) accordingly.
- iv. The DAIP after investigation shall submit its report with the recommendation on penalties to be imposed to the IAIP within a period of 45 days from the date of receipt of complaint / initiation of the proceedings.

11. Institutional Academic Integrity Panel (IAIP)

- i. HEI shall notify a IAIP whose composition shall be as given below:
 - a. Chairman Pro-VC/Dean/Senior Academician of the HEI.
 - b. Member Senior Academician other than Chairman, to be nominated by the Head of HEI.
 - c. Member One member nominated by the Head of HEI from outside the HEI
 - d. Member A person well versed with anti-plagiarism tools, to be nominated by the Head of the HEI.

The Chairman of DAIP and IAIP shall not be the same. The tenure of the Committee members including Chairman shall be three years. The quorum for the meetings shall be 3 out of 4 members (including Chairman).

- ii. The IAIP shall consider the recommendations of DAIP.
- iii. The IAIP shall also investigate cases of plagiarism as per the provisions mentioned in these regulations.

- iv. The IAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the student, faculty, researcher and staff of HEI.
- The IAIP shall have the power to review the recommendations of DAIP including penalties with due justification.
- vi. The IAIP shall send the report after investigation and the recommendation on penalties to be imposed to the Head of the HEI within a period of 45 days from the date of receipt of recommendation of DAIP/complaint/initiation of the proceedings.
- vii. The IAIP shall provide a copy of the report to the person(s) against whom inquiry report is submitted.

12. Penalties

Penalties in the cases of plagiarism shall be imposed on students pursuing studies at the level of Masters and Research programs and on researcher, faculty & staff of the HEI only after academic misconduct on the part of the individual has been established without doubt, when all avenues of appeal have been exhausted and individual in question has been provided enough opportunity to defend himself or herself in a fair or transparent manner.

12.1 Penalties in case of plagiarism in submission of thesis and dissertations

Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) shall impose penalty considering the severity of the Plagiarism.

- i. Level 0: Similarities upto 10% Minor Similarities, no penalty.
- ii. Level 1: Similarities above 10% to 40% Such student shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months.
- iii. Level 2: Similarities above 40% to 60% Such student shall be debarred from submitting a revised script for a period of one year.
- iv. Level 3: Similarities above 60% -Such student registration for that programme shall be cancelled.

Note 1: Penalty on repeated plagiarism- Such student shall be punished for the plagiarism of one level higher than the previous level committed by him/her. In case where plagiarism of highest level is committed then the punishment for the same shall be operative.

Note 2: Penalty in case where the degree/credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of award of degree or credit as the case may be then his/her degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by the IAIP and approved by the Head of the Institution.

12.2 Penalties in case of plagiarism in academic and research publications

- I. Level 0: Similarities up to 10% Minor similarities, no penalty.
- II. Level 1: Similarities above 10% to 40%
 - i) Shall be asked to withdraw manuscript.

III. Level 2: Similarities above 40% to 60%

- i) Shall be asked to withdraw manuscript.
- ii) Shall be denied a right to one annual increment.
- iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master's, M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of two years.

IV. Level 3: Similarities above 60%

- i) Shall be asked to withdraw manuscript.
- ii) Shall be denied a right to two successive annual increments.
- iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master's, M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of three years.

Note 1: Penalty on repeated plagiarism - Shall be asked to withdraw manuscript and shall be punished for the plagiarism of one level higher than the lower level committed by him/her. In case where plagiarism of highest level is committed then the punishment for the same shall be operative. In case level 3 offence is repeated then the disciplinary action including suspension/termination as per service rules shall be taken by the HEI.

Note 2: Penalty in case where the benefit or credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of benefit or credit obtained as the case may be then his/her benefit or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the Head of the Institution.

Note 3: HEIs shall create a mechanism so as to ensure that each of the paper publication/thesis/dissertation by the student, faculty, researcheror staff of the HEI is checked for plagiarism at the time of forwarding/submission.

Note 4: If there is any complaint of plagiarism against the Head of an HEI, a suitable action, in line with these regulations, shall be taken by the Controlling Authority of the HEI.

Note 5: If there is any complaint of plagiarism against the Head of Department/Authorities at the institutional level, a suitable action, in line with these regulations, shall be recommended by the IAIP and approved by the Competent Authority.

Note 6: If there is any complaint of plagiarism against any member of DAIP or IAIP, then such member shall excuse himself / herself from the meeting(s) where his/her case is being discussed/investigated.

13. Removal of Difficulty

UGC reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementations of these Regulations in consultation with the Government of India/ Ministry of Human Resource Development.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./161/18]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018,07.31 22:44:34